प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 21.12.2025

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सरकारी योजनाओ का लाभ बताकर लोगो का बैंक में खाता खुलवाकर अवैध लेन देन करने के मामले से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों द्वारा पीड़ित के खाते से किया गया 82 लाख का लेनदेन

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी साइबर ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम ***श्री जयप्रकाश चौबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनाँक 21.12.2025 को सरकारी योजनाओ का लाभ बताकर लोगो का बैंक में खाता खुलवाकर उसमें अवैध लेन देन करने के मामले से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों नाम पता 1. प्रशान्त पुत्र राजेश यादव निवासी शिवसरा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर , 02. अभिनव पुत्र अरविन्द कुमार पाण्डेय उर्फ मुन्ना पाण्डेय निवासी एग्रो कालोनी खलीलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. सुमित विश्वकर्मा पुत्र श्यामबहादुर विश्वकर्मा निवासी टीचर कालोनी खलीलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को तहसील सदर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण- दिनाँक 19.12.2025 को वादी श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्रीराम जी गुप्ता निवासी बगहियां थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा थाना साइबर क्राइम पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी के लड़के कृष्णा को विश्वास में लेकर सरकारी योजना का लाभ के रूप में पैसा आने की बात कहकर खाता खुलवाया गया तथा चेकबुक, एटीएम, सिम नम्बर लेकर उक्त खाते में लगभग 82 लाख रूपये का लेने देन की गयी तथा पूछताछ करने पर गाली व जान से मारने की धमकी दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4), 352, 351(3) BNS व 66D आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. प्रशान्त पुत्र राजेश यादव निवासी शिवसरा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. अभिनव पुत्र मुन्ना पाण्डेय निवासी एग्रो कालोनी खलीलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. सुमित विश्वकर्मा पुत्र श्यामबहादुर विश्वकर्मा निवासी टीचर कालोनी खलीलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये दोनो अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम लोग आमलोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ के रुप में पैसा आने की बात बताकर उनका खाता खुलवाकर उसका चेकबुक, एटीएम आदि ले लेते है तथा साइबर धोखाधड़ी का जो भी पैसा आता है उक्त लोगों के खाते में ट्रांसफर करके निकाल लेते है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0श्री रमेश यादव, हे0का0 हिन्दे आजाद व का0 रामप्रवेश मद्देशिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

❖ *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 1,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 1,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 705 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जय प्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त सिकन्दर पुत्र धुपई निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बड़ा पोखरा सिरसी के पास से 705 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 21.12.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सिकन्दर पुत्र धुपई निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 654/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 705 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 अवधेश सिंह यादव, का0 अखिलेश मझवार, का0 सत्यम सिंह प्रथम, का0 सत्यम सिंह द्वितीय, का0 जितेन्द्र यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 552/25 धारा 87,137(2),351(3) बी0एन0एस0 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में गिरफ्तारशुदा बाल अपचारी टोटी उर्फ अंकुश पुत्र चुन्नीलाल ग्राम मानपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को दिनाँक 21.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 24.10.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को बरामद करते हुए उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 सतीश मिश्रा, हे0का0 इन्द्रजीत यादव।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेहदावल ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता परशुराम पुत्र कोईल निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 503/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 21.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अभियुक्त परशुराम पुत्र कोईल निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 लालमणि यादव, कां0 अंकेश यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान पैर मे लगी गोली, अभियुक्त गिरफ्तार

***दिनाँक 21.12.2025 को वादी द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश निवासी ग्राम बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की 07 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0स0 657/2025 धारा 137(2) 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनाँक 22.10.2025 को उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश निवासी ग्राम बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम सीयरकला के पास बाग में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी। अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर, 01 अदद मिस फायर कारतूस .12 बोर व 01 अदद खाली खोखा .12 बोर बरामद हुआ है।**

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** तथा एसओजी प्रभारी निरीक्षक ***श्री अजय सिंह*** द्वारा संयुक्त रुप कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 22.12.2025 को दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को ग्राम सीयरकला के पास बाग में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश निवासी ग्राम बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-
01- एक अदद अवैध तमंचा .12 बोर
02- एक अदद मिसफायर कारतूस .12 बोर
03- एक अदद खाली खोखा .12 बोर

घटना का विवरणः-
आज दिनांक 22.12.2025 को समय 03.35 बजे अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश निवासी ग्राम बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के ग्राम सियर कला बाग में छिपने की सूचना मिली थी। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त स्थान पर पहुचकर अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे उपरोक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त द्वारा अपने को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस पार्टी को गाली देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए अबैध असलहे से फायर करने की बात कही गयी तब पुलिस पार्टी द्वारा चेतावनी देते हुए आत्म समर्पण हेतु कहा गया परन्तु अभियुक्त द्वारा आत्मसमपर्ण न करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा सतर्कता से अपना बचाव किया गया तथा आत्मसुरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया। जिसमें एक गोली अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र के दाहिन पैर के घुटने के नीचे लग गयी। पुलिस पार्टी द्वारा सावधानीपूर्वक अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .12 बोर जिसमें चैम्बर में एक मिस कारतूस पडा हुआ बरामद हुआ तथा बगल में एक खोखा कारतूस .12 बोर पडा मिला। अभियुक्त को तत्काल पुलिस फोर्स द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलौली पहुँचाया गया। जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद संयुक्त जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर रेफर किया गया है। जहाँ पर अभियुक्त उपरोक्त का इलाज चल रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 658/2025 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/ 25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जयप्रकाश दूबे, नि0अ0 श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 रजनीश यादव, का0 महेन्द्र निषाद, का0 जितेन्द्र यादव, का0 मुकेश थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

2. एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय सिंह, हे0का0 अनुप कुमार राय, का0 दीपक सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 वीर बहादुर यादव, का0 विवेक मिश्रा, का0 अरुण हलवाई एसओजी संतकबीरनगर।